308

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा

विलोपित / विलोपित / विलोपित / विलोपित / विलोपित

II/निग/सतना/भू.रा./2017/6188

रामदीन कोटवार तनय रामजियावन कोटवार, साकिन हरुआ, तहसील मैहर

जिला सतना म0प्र0 -- —निगरानीकर्ता

बनाम

उदयनारायण सिंह तनय सत्यनारायण सिंह साकिन ग्राम राजापुर, तहसील

नागौद, जिला सतना म0प्र0 -- ---- गैरनिगरानीकर्ता

अधि० श्री बी० बी० उपाध्याय
द्वारा पेश / 18.12.17

बारर्न आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश नायब तहसीलदार
वृत्त रहिकवार, /जसो तहसील नागौद, जिला
सतना म0प्र0 के प्र.क्र. 01-अ-5/15-16, आदेश
दिनांक 30.5.2016,

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व
संहिता 1959ई.।

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि निगरानीकर्ता भूमि खसरा नं0 2/1 एवं 7/1 रकवा क्रमश: 0.392हे., एवं 0.710 हे., कुल दो किता, कुल रकवा 1.002 हे. स्थित ग्राम राजापुर, तहसील नागौद, जिला सतना म0प्र0 के भूमिस्वामी एवं अधिपत्यधारी है, तथा निगरानीकर्ता की सीमा से लगी हुई गैरनिगरानीकर्ता की भूमि खसरा नं0 2/2 एवं 7/2 स्थित है, निगरानीकर्ता ने अपने उपरोक्त भूमियो का सीमांकन कर नक्शा तरमीम करने बावत आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया। जिस पर हल्का पटवारी/राजस्व निरीक्षक द्वारा निगरानीकर्ता की अनुपस्थिति मे गैरनिगरानीकर्ता के घर मे बैठकर तथा उसे लाभ पहुंचाने के उद्देश्य औपचारिक

रामदीन

(308)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक क्रमांकII / निग0 / सतना / 2018 / 6188 जिला– सतना

रामदीन कोटवार / उदयनारायण सिंह

(1)	(2)	(3)
18.12.18	1. आवेदक की ओर से श्री बी0 बी0 उपाध्याय अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार, वृत्त रहिकवार / जसो, तहसील नागौद, जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 01 / अ–5 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 30.05.16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 13.01.19 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	